

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी - सन्दीप चौधरी (आर.ए.एस.)

अनुवान पवन कुमार आदि बनाम इन्दरा देवी आदि

वाद संख्या 69 वर्ष 2020

निर्णय दिनांक :- 06.01.24

1. पवन कुमार पुत्र अर्जुनराम जाति अग्रवाल निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु
 - 1/1 सुमित्रा देवी पत्नी पवन कुमार जाति अग्रवाल निवासी साहवा तह. तारानगर (चूरु)
(Deleted)
 - 1/2 शीतल कुमार पुत्र पवन कुमार जाति अग्रवाल निवासी साहवा तह. तारानगर (चूरु)
 - 1/3 सुमित कुमार पुत्र पवन कुमार जाति अग्रवाल निवासी साहवा तह. तारानगर (चूरु)
 - 1/4 सारिका पुत्री पवन कुमार जाति अग्रवाल निवासी साहवा तहसील तारानगर (चूरु)
(Deleted)
- वादीगण -

बनाम

1. इन्दरा देवी पत्नी नानूराम जाति सैनी निवासी धीरवास बड़ा हाल साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु
 2. कमला देवी पत्नी भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी धीरवास बड़ा हाल साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु
 3. तुलछाराम पुत्र लिखमाराम जाति सैनी निवासी धीरवास बड़ा हाल साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु
 4. प्रदीप कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी धीरवास बड़ा हाल साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु
 5. शीटा पुत्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी धीरवास बड़ा हाल साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु
 6. सुनिता देवी पत्नी अजय कुमार जाति जाट निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरु
 7. हरकचन्द पुत्र डूंगरराम जाति सैनी निवासी धीरवास बड़ा हाल साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु
 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरु
- प्रतिवादीगण -


उपस्थिति :-

1. श्री आशाराम आचार्य एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. श्री मोहित शर्मा एडवोकेट एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6, 7

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.08.2023 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार तारानगर से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरु


विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। विभाजन प्रस्ताव पर वकील पक्षकारान को सुना गया। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा इसी के मुताबिक दावा अन्तिम रूप से डिक्री करने व विवादित भूमि का खाता विभाजन करने का निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हक हिस्सा तक की भूमि तक का होना पाया गया है। इस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने व वकील उभयपक्ष के सही होना स्वीकार करने पर यह दावा बरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि रोही ग्राम साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु के ख.नं. 765 तादादी 05.4879 हैक्टेयर निम्न प्रकार किया जाता है कि :-

- (1) कृषि भूमि रोही ग्राम साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु के ख.नं. 765 मीन तादादी 02.5292 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग नीला, ख.नं. 765 मीन तादादी 0.2276 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग काला से दर्शाया गया है, वादी शीतल कुमार अग्रवाल, सुमित कुमार सरावगी पुत्रगण पवन कुमार जाति अग्रवाल निवासी साहवा के हक में ब.हि.ब. रहेगी।
- (2) कृषि भूमि रोही ग्राम साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु के ख.नं. 765 मीन तादादी 0.0478 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग हरा से दर्शाया गया है, प्रतिवादी हरकचन्द पुत्र डूंगरराम जाति सैनी निवासी धीरवास बड़ा हाल साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु के हक में रहेगी।
- (3) कृषि भूमि रोही ग्राम साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु के ख.नं. 765 मीन तादादी 0.0222 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, प्रतिवादी इन्द्रश देवी पत्नी नानूराम जाति सैनी निवासी धीरवास बड़ा हाल साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु के हक में रहेगी।
- (4) कृषि भूमि रोही ग्राम साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु के ख.नं. 765 मीन तादादी 0.0445 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग पीला से दर्शाया गया है, प्रतिवादी



उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरु

तुलछाराम पुत्र लिखमाराम जाति सैनी निवासी धीरवास बड़ा हाल साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु के हक में रहेगी।

(5) कृषि भूमि रोही ग्राम साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु के ख.नं. 765 मीन तादादी 02.6166 हैक्टियर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में वरंग सफेद से दर्शाया गया है, प्रतिवादी कमला पत्नी भंवरलाल, प्रदीप, रीटा पिसरान भंवरलाल का 632/13083 ब.हि.ब. जाति जाट निवासी धीरवास बड़ा, सुनिता देवी पत्नी अजय कुमार का 12451/13083 हिस्सा जाति ब्राह्मण निवासी धीरवास बड़ा के हक में रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।


(सन्दीप चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
उपतारानगर (चूरु)
तारानगर चूरु

निर्णय आज दिनांक 08.01.24 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवाया गया।


(सन्दीप चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
उपतारानगर (चूरु)
तारानगर चूरु